

-103-

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/1194/2022/10-11/3548 भोपाल, दिनांक 11/8/23
प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंग रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- सीहोर जिले में ग्राम सनकोटा से सिराड़ी मार्ग निर्माण हेतु 4.580 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग, बुदनी को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPB 049/2022-BHO/ दिनांक 04.07.2023

----0----

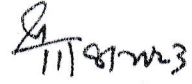
कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व निम्नांकित जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

बिन्दु	प्रतिवेदन
The matter has been discussed after REC meeting on 13.06.2023. During the discussion, DDGF (C), PCCF (LM) Govt. of MP, DIGF (C) and representative of UA were present and it was decided that the concerned DFO shall revisit the proposed diversion area and if required, the proposed alignment may be changed in accordance with gradient and vegetation as good dense forest is getting affected due to the current alignment.	आपके द्वारा दिए निर्देशानुसार वन मण्डलाधिकारी सीहोर द्वारा दिनांक 06.07.2023 को प्रस्तावित क्षेत्र का पुनः निरीक्षण किया गया (छायाप्रति संलग्न)। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पूर्व से प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त मौके पर अन्य कोई मार्ग नहीं है। प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त नया अलाइनमेण्ट करने से मार्ग में अधिक वृक्ष आ रहे हैं एवं वनभूमि क्षेत्र अधिक प्रभावित होगा तथा भौगोलिक रूप से पहाड़ी एवं तीव्र ढलान होने के कारण वनभूमि का अधिक कटाव होगा, जैव विविधता पर भी अत्याधिक विपरीत प्रभाव होगा। अतः पूर्व में प्रस्तावित मार्ग का अलाइनमेण्ट/सीमांकन किया गया ही उपयुक्त है। ग्रामीणों के द्वारा वर्तमान में प्रस्तावित किए गए मार्ग से ही आवागमन किया जा रहा है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(सुनील अग्रवाल)

भोपाल, दिनांक 11/8/23

पृ. क्रमांक/एफ-5/1194/2022/10-11/3599
प्रतिलिपि:—

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) भोपाल वृत्त, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सीहोर, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग बुदनी, जिला—सीहोर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

01/8

कार्यालय सामान्य वनमण्डल सीहोर

सीहोर-इछावर मार्ग, सीहोर (म.प्र.) 466001

Mob-9424790850 E-mail :- dfot.seh@mp.gov.in

क्रमांक/मानचित्रकार/2023/ 1991

सीहोर दिनांक 07.08/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल।

विषय:- सीहोर जिले में ग्राम सनकोटा से सिराड़ी मार्ग निर्माण हेतु 4.580 हैक्टर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग बुधनी को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:-1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रं/6-MPB049/2022-BHO दिनांक 04.07.2023

2. आपके कार्यालय का पत्र क्रं/एफ-5/1194/2022/10-11/3106 दि. 12.07.2023

--00--

विषयांकित में निवेदन है कि सीहोर जिले में ग्राम सनकोटा से सिराड़ी मार्ग निर्माण हेतु 4.580 हैक्टर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग बुधनी को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उपयोग पर देने के संबंध में आपके कार्यालय के संदर्भित पत्र-2 से जानकारी चाही गई है कि-“संबंधित वन मंडलाधिकारी प्रस्तावित मार्ग का पुनः निरीक्षण कर अवगत करावे कि प्रस्तावित मार्ग का अलाइनमेंट परिवर्तित किया जा सकता है अथवा नहीं।

प्रस्तावित मार्ग सनकोटा से सिराड़ी का मेरे द्वारा दिनांक 06.07.2023 को निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पूर्व से प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त मौके पर अन्य कोई मार्ग नहीं है। प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त नया अलाइनमेंट करने से मार्ग में अधिक वृक्ष आ रहे हैं एवं वनभूमि क्षेत्र अधिक प्रभावित होगा है तथा भौगोलिक रूप से पहाड़ी एवं तीव्र ढलान होने के कारण वनभूमि का अधिक कटाव होगा, जैव विविधता पर भी अत्यधिक विपरीत प्रभाव होगा।

अतः पूर्व में प्रस्तावित मार्ग का अलाइनमेंट/सीमांकन किया गया ही उपयुक्त है। ग्रामीणों के द्वारा वर्तमान में प्रस्तावित किए गए मार्ग से ही आवागमन किया जा रहा है प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

एम.एस.डावर (भा.व.से.)
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल सीहोर

पृ.क्रमांक/मानचित्रकार/2023/ 1992

सीहोर, दिनांक 07.08/2023

प्रतिलिपि :-

1. वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग बुधनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल सीहोर